

क्रम

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

रीख

2

3

110/23

अभिलेख उपस्थापित।



अर्जुन महतो, पिता देवकी महतो, ग्राम+पोस्ट-बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-बलसगरा, थाना नं०-49, खाता संख्या-92, प्लॉट संख्या-554, रकवा-04 डी० भूमि लक्ष्मी कुमारी, पति सोबु दाकुर, मौजा-हुवाग, पोस्ट-बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-487/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2621/रा० दिनांक-28.07.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, डाड़ी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के पत्रांक 288 दिनांक 30.09.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि विक्रेता को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 17.12 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 04 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-2/X पर अर्जुन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अन्य खाता में रकवा 2.90 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प कार्रवाई के दिप्पणी तारी
1	2	3
	<p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, डाई हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अर्जुन महतो, पिता देवकी महतो, ग्राम+पोस्ट-बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग द्वारा छेठनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाई, मौजा-बलसगरा, थाना नं0-49, खाता संख्या-92, प्लॉट संख्या-554, रकवा-04 डी0 भूमि लक्ष्मी कुमारी, पति सोनु ठकुर, मौजा-हुवाग, पोस्ट-बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	